



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220051
CG-DL-E-20062020-220051

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1752]
No. 1752]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISHTHA 29, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1969(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1365(अ), दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा.सं. एनएच-14013/14/2019-पी एंड एम]
राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. सं. 1726 (अ), दिनांकित 26 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार अधिसूचना का.आ. सं. 1365(अ), दिनांकित 24 अप्रैल, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1969(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1365 (E), dated the 24th April, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 24th April, 2020, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/14/2019-P&M]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1726 (E), dated the 26th June, 2015 and was last amended vide number S.O. 1365 (E), dated the 24th April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1970(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"9"	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, [किमी 11.00 से किमी 208.00 को छोड़कर], सं. 20ए, सं. 21ए [किमी 17.00 से किमी 35.00 तक को छोड़कर], सं. 22 [किमी 337.140 से किमी 368.340 (वांगटू - पोवारी जंक्शन खंड) किंतु सीमा सड़क विकास बोर्ड को सुपुर्द किए गए खंडों और किमी 62.200 से किमी 156.507 (हरियाणा/हिमाचल सीमा - सोलन - कैथिलीघाट - शिमला बाइपास खंड) तक को छोड़कर], सं. 70, सं. 72, सं. 72बी, सं. 73ए, नई रारा सं. 154ए, नई रारा सं. 305, नई सं. 503, (मतौर - धर्मशाला - मैकलॉयडगंज खंड) और नई रारा सं. 503वि., नई रारा सं. 503ए, नई रारा सं. 505ए, नई रारा सं. 705 और नई रारा सं. 907ए के उतने भाग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है।	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार"

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. सं. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार अधिसूचना का.आ. सं. 1734(अ), दिनांकित 03 जून, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14013/14/2019-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1970(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“9	So much of National Highways No. 20[excluding km 11.00 to km 208.00] No. 20A, No. 21A [excluding from km 17.00 to km 35.00], No.22 [including from km. 337.140 to km. 368.340 (Wangtu-Powari junction section) but excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from km. 62.200 to Km. 156.507 (Haryana/Himachal Border-Solan- Kaithlighat –Shimla Bypass section)] No.70, No.72, No. 72B, No.73A, new NH No. 154A, new NH No. 305, new No. 503 (Mataur-Dharamshala- Macleodganj section) and new NH No. 503 Extn, New NH No. 503A, New NH No. 505A , new NH No.705 , and new NH No. 907A as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh.”

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1734 (E), dated the 3rd June, 2020.

[F. No. NH-14013/14/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.